विवरण

वर्ष 1996-98 **के दौरान उर्वरकों की खपत के रूप में उत्पादन तथा मांग**

(लाख टनों में)

	1996-97		1997-98	
उत्पादन के नाम	उत्पादन	खपत	उत्पादन	खपत
यूरिया	156.20	190.25	185.96	196.16
ए/एस	6.81	6.54	5.44	6.06
सीएएन	4.22	3.95	4.41	4.01
ए/सी	1.20	1.21	1.10	1.04
डीएपी	27.59	36.24	36.91	53.76
एसएसपी	30.80	30.18	31.39	36.60
कम्पलेक्सिज	35.86	35.88	35.17	37.85

वर्ष 1996-97 **तथा** 1997-98 **के दौरान राजस्थान में उर्वरकों का उत्पादन**

उत्पाद का नाम	उत्पादन (लाख टनों में)	
	1996-97	1997-98
यूरिया	12.74	13.62
एसएसपी	1.52	2.60

कूटबद्ध

ए/एस - अमोनियम सल्फेट
सीएन - कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट
डीएपी - डाई – अमोनियम फास्फेट
एसएसपी - सिंगल सूपर फास्फेट

गैर-सरकारी उर्वरक उत्पादन करने वाले उपक्रमों का विकास

1093. **श्री गोपाल सिंह जी** 0 **सोलंकी** : क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गैर-सरकारी उर्वरक उत्पादक उपक्रमों के उत्थान हेतु अब तक तैयार/लागू की गई योजनाओं का अद्यतन ब्यौरा क्या है;

(ख) 1999-2000 के दौरान उन्हें कौन-कौन सी अतिरिक्त सुविधाएं प्रदान किए जाने का प्रस्ताव है;

(ग) देश के कुल उर्वरक उत्पादन में निजी उपक्रमों के योगदान की प्रतिशतता कितनी है और इससे देश की उर्वरक की कुल उपभोग मांग को किस हद तक पूरा किया जा रहा है; और

(घ) निजी उपक्रमों के उत्पादन लक्ष्यों को हासिल करने में सरकार की भूमिका क्या है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा0 ए0 के0 पटेल) : (क) से (घ) उर्वरक क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने और उत्पादन लागत में कमी करने के लिए उर्वरक उद्योग को निम्नलिखित सुविधाएं/रियायतें उपलब्ध है:

(i) सामान्यत: उर्वरक उद्योग की स्थापना करने के लिए किसी औद्योगिक लाइसेंस की आवश्यकता नही है ।

(ii) वर्तमान में यूरिया पर लागू प्रतिधारण मूल्य-सह-राजसहायता स्कीम के तहत उद्यमियों को निवेश पर मुनासिब लाभ।

(iii) वर्तमान में यूरिया पर लागू प्रतिधारण मूल्य-सह-राजसहायता स्कीम के तहत उद्यमियों को निवेश पर मुनासिब लाभ।

(iv) पौद्य पोषकों के सन्तुलित उपयोग को बढ़ावा देने के लिए नियंत्रणमुक्त फास्फेटिक और पोटाशिक उर्वरकों पर रियायत।

(v) नये संयंत्रों की स्थापना करने/मौजूदा एककों के आधुनिकीकरण करने के लिए सीमा शुल्क की रियायती दर पर पूंजीगत माल का आयात।

(vi) सीमा शुल्क की रियायती दर पर उर्वरक कच्चे माल तथा मध्यवर्त्तियों का आयात के लिए आज की तारीख में नाइट्रोजन तथा फास्फेट की कुल स्थापित क्षमता में निजी क्षेत्र का हिस्सा क्रमशः 37.4% तथा 64.2% है।

Concessions and Subsidies to Fertilizer Producers

1094. SHRI LAJPAT RAI: Will the Minister of CHEMICALS AND FERTILIZERS be pleased to state:

(a) what are the details of the concessions and subsidies being provided to the fertilizer producers;

(b) what is the amount of concessions and subsidies provided during the last three years, year-wise;

(c) whether Government propose to increase these concessions and subsidies; and

(d) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS (DR. A.K. PATEL): (a) Sale price of urea is statutorily fixed by the Government. Similarly, decontrolled Phosphatic and potassic fertilizers are sold to the fanners at an indicative MRP fixed by the Government. Subsidy/concession is accordingly paid to the manufacturers/ importers to enable them to sell fertilizers to farmers at an affordable price which is fixed by the Government.

(b) The subsidy on controlled fertilizers and the concession on decontrolled phosphatic and potassic fertilizers paid during the last 3 years are as under:

Year	Subsidy on controlled Fertilizers (Rs. in crore)	Concession on decontrolled Fertilizers. (Rs. in crore)
1995-96	6235.00	500.00
1996-97	5906.08	1671.77
1997-98	7307.00	2596.00

(c) and (d) The quantum of subsidy/ concession varies from time to time depending en the retail price, cost of production and cost of imports.

Agencies for Selling Chemical and Fertilzicrs in Bihar

1095. SHRI JANARDAN YADAV: Will the Minister of CHEMICALS AND FERTILIZERS be pleased to state:

(a) the number of agencies working in Bihar, district-wise, for selling chemicals and fertilizers, as on 31st March, 1998.

(b) the number of agencies working under the Cooperative Societies and private sector separately;

(c) the programme of development of Government for making profitability of chemicals and fertilizers more effective with a view to facilitate their sale;

(d) if so, the details thereof; and

(e) if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS (DR. A.K. PATEL): (a) and (b) As on 31.3.1998, there were 15149 agencies working in the State of Bihar for selling chemicals and fertilizers. This included 1628 agencies under Cooperative Societies and 13521 in the